



राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.20(1)अल्प.वक्फ/2017/RK/00753

जयपुर दिनांक 19.06.2018

आज्ञा

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित) की धारा 83(4)(c) के क्रम में राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 23 मई, 2014 में प्रकाशित राज्य सरकार की अधिसूचना के बिन्दु संख्या-3 में उल्लेखित श्रेणी के अन्तर्गत श्री मोहम्मद सबीर पुत्र श्री मोहम्मद यासीन, निवासी हुसैनी चौक, चूरु, जिला चूरु (राज.) को राजस्थान वक्फ अधिकरण में सदस्य मनोनीत किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

frati
(प्रतिभा पारीक) 19/06

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अवर सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, पीठासीन अधिकारी, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर।
12. सम्पदा अधिकारी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर।
13. नोडल अधिकारी (वेबसाइट), राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
14. श्री मोहम्मद सबीर पुत्र श्री मोहम्मद यासीन, निवासी हुसैनी चौक, चूरु, जिला चूरु (राज.)।
15. रक्षित पत्रावली।

frati
संयुक्त शासन सचिव